समाहरणालय अररिया

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत उद्व्यय **मो0- 6065.00 लाख** रूपये का **2.5 प्रतिशत** राशि **मो0- 151.52 लाख** के विरुद्व मुख्य सचिव-सह- अध्यक्ष राज्य स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा अनुमोदित अररिया जिला के सीमावत्ती चार (04) प्रखंडो में प्रखंडवार **2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार)** रूपये का विद्यालयों में बेंच-डेस्क आपूत्ति हेतु निबंधित आपूत्तिकर्त्ताओं से मुहर बंद निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग-अलग लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाताओं द्वारा संबंधित सामग्रियों की सूची एवं विशिष्टताएँ दिनांक 07.09.2016 तक कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 08.09.2016 को 2.00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में मुहर बंद निविदा दाखिल कर सकते है। दिनांक 10.09.2016 को 2.00 बजे में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

निविदा की शर्त्ते :-

1- निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखें जायेगें। (I) जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से 20,000.00 (बीस हजार) राशि का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एक्सिस बैंक, अररिया में भुगतेय होगा, (II) निविदादाताओं को TIN (VAT/CST) तथा आयकर विभाग में विगत तीन वर्षो का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए, (III) निविदादाता को Shop & Establishment का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, (IV) निविदादातों को शपथ पत्र देना होगा कि वे काली सूची में कभी भी नहीं लाए गए है।

2- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जायेगा।

3- स्वीकृत निविदादाता को सुसंगत शर्त्तो के अनुरूप एकरारनामा दाखिल होगा।

4- कार्यहित एवं सुविधा के दृष्टिकोण से न्यूनतम दर पर उक्त कार्यो को एक से अधिक निविदादाता को भी आवंटित किया जा सकता है।

5- आपूर्त्तिकर्त्ता को संबंधित शिक्षण संस्थान में सामग्री आपूत्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन एवं मजदूरी भुगतान नहीं की जाएगी।

6- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्तक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

7- आपूत्ति किये गये सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टाताओं से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

8- आपूत्ति किए गए सामग्री बेंच/डेस्क की विशिष्टताएँ निम्न होगी :-

उपस्कर के नाम, प्रकार एवं आकार	विशिष्टतायें
(क) शीशम की लकड़ी की प्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्रा (60 इंच × 18 इंच×10 इंच) **बेंच** - (शीशम की लकडी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्रा)	पौवा-18" × 2" × 2" चार, पाशी-60" × 3" × 1" दो साईड पाशी-07" × 3" × 1" तीन, गज-07" ×15" × 1" दो,पटरा-आम-60" × 10" × 1" एक
डेस्क-(शीशम की लकडी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्रा) (60 इंच × 30 इंच×14इंच)	पौवा-30" × 02"× 02" चार पाशी-60"× 03"× 01" दो, साईड पाशी-10"× 04"× 01" तीन, गज-12"× 15" ×1" दो, पटरा-आम-60"× 10"× 1" एक, पटरा-आम-60" × 04" ×1" एक

9- किसी विवाद कि स्थिति में निपटारा अररिया जिला न्यायालय में होगा।

10- अनुमोदित आपूत्तिकर्त्ता एक महीने के अन्दर गुणवत्ता युक्त मात्रानुसार सामग्री की आपूर्त्ति करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समयावधि में सामग्री आपूर्त्ति नहीं करने की स्थिति में उनपर अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा अथवा निविदा को निरस्त किया जाएगा।

11- क्रय समिति के समक्ष एक नमूना उपलब्ध कराना होगा और सफल निविदादाता का नमूना सुरक्षित रख लिया जाएगा। जिसके लिए कोई राशि नहीं दी जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए **www.araria.bih.nic.in** बेससाइट पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

जिला योजना पदाधिकारी,
अररिया